न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 144/2025 — निर्णय दिनांक 16.12.2025
जीसीएमएस नम्बर 2025/305

भैरूलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी आडसरबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
2. देवीलाल
3. भवानीशंकर
4. श्यामलाल

(2 से 4) पुत्रगण भंवरलाल जातिगण मीणा निवासीगण आडसरबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रतिवादीगण —

उपस्थितिः—
1. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश मिडल अभिभाषक प्रतिवादी गण संख्या 2 ता 4

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी कस्बा श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है और वादी का वास्तविक नाम भैरूलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति मीणा है । वादी की संयुक्त खातेदारी कृषिभूमि खेत खसरा नम्बर 309 क्षेत्रफल 3.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964 क्षेत्रफल 9.2100 हैक्टेयर (गै. मु. 0.0900 हैक्टेयर, बारानी 9.1200 हैक्टेयर) कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 12.9900 हैक्टेयर रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में स्थित हैं और उसी अनुसार वादी का उपरोक्त खसरान में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का वास्तविक नाम भैरूलाल पुत्र भंवरलाल हैं लेकिन वादी के उपरोक्त खेतो के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम भैराराम पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी श्रीडूंगरगढ़ अंकित है । वादी एक सीधा साधा व्यक्ति हैं तथा वादी का वास्तविक नाम भैरूलाल हैं । वादगंत कृषिभूमि पूर्व में खसरा नम्बर 250 मिन उत्तरी तादादी 14 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 650 मिन दक्षिण तादादी 36 बीघा 08 बिस्वा मय गैर मुमकिन 03 विस्वा था । उपरोक्त खसरान के खातेदार रामदेवा पुत्र दुलाराम मीणा से उक्त कृषिभूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 नें जरिये अपने संरक्षक पिता भंवरलाल खरीद कर ली परन्तु विक्रयपत्र लिखवाते समय दस्तावेज लेखक ने वादी का नाम भैरूलाल की बजाय भैराराम अंकित कर दिया जबकि स्कूल रिकार्ड एवं वादी के समस्त शिक्षणिक दस्तावेज, राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में वादी का नाम भैरूलाल अंकित है । वादी विक्रयपत्र के समय नाबालिग था । वादी का वास्तविक नाम भैरूलाल हैं और जमाबन्दी में वादी के संयुक्त खातेदारी उपरोक्त खेतो की जमाबन्दी में भैराराम अंकन होने की वजह से वादी को उपरोक्त वादगत खेतो की कृषिभूमि को सुधार, केसीसी इत्यादि बनवानें के लिए काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वादी के समस्त पहचानपत्र दस्तावेजों यथा शिक्षण प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पेन काड, राशनकार्ड आदि में वादी का नाम भैरूलाल अंकित है । वादगत खसरान की कृषि भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हो गया। विक्रयपत्र के समय वादी अव्यवस्था था और बाद में वादी अपनी पढाई में व्यस्त हो गया और वर्तमान में केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल में कॉस्टेबल है और अपनी नौकरी के सिलसिले में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण इस बात की जानकारी अब हुई जब वादी अपने खेत पर केसीसी करवानें के लिए ई मित्र सें दिनांक 01.08.2025 को जमाबन्दी निकलवाई तब पता चला कि वादी का नाम उपरोक्त खेत के राजस्व रिकार्ड में भैरूलाल की बजाय भैराराम अंकित है। इस बाबत वादी दिनांक 06.08.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के समक्ष पेश होकर अपना नाम वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड में सुधार का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

संख्या 01 द्वारा अपने कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही होना कहकर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ऐसा किया जाना इंकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से प्रतिवादीगण के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा जब कि इसके विपरित सही नाम दर्ज नही होने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी । वादी के पास वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम भैरूलाल दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है। वादगत कृषिभूमि वादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का होने से वादी को खिलाफ प्रतिवादीगण वादाधार हासिल है । प्रतिवादी संख्या 01 भूमिधारक की हैसियत सें पक्षकार एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 को संयुक्त खातेदार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है । प्रतिवादी संख्या 01 भूमिधारी स्टेट हैं लेकिन दावा में स्टेट सें कोई अनुतोष नही चाहा गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा लाने से पूर्व 02 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं परन्तु दावा अत्यन्त ही अर्जेन्ट नेचर का हैं ऐसे में कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए स्टेट के विरूद्ध दावा लाने से पूर्व धारा 80 (2) सीपीसी के नोटिस की छुट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत करने के लिए अलग से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 को सहखातेदार होने सें पक्षकार संयोजित किया गया है । प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 सें किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नही की गई है। वादगत खेत ग्राम जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित होने सें दावा का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी को है । दावा उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है । अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि बहक वादी डिक्री निम्न आशय की जारी फरमाया जावें कि

(क) कि खाता संख्या नया 564 अन्तर्गत खेत खसरा नम्बर 309 क्षेत्रफल 3.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964 क्षेत्रफल 9.2100 हैक्टेयर (गै.मु. 0.0900 हैक्टेयर, बारानी 9.1200 हैक्टेयर) कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 12.9900 हैक्टेयर रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भैराराम के स्थान पर भैरूलाल घोषित किया जावें ।

(ख) कि दावा में अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जायें, वादी को आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 309 तादादी 3.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964 तादादी 9.2100 हैक्टेयर (गै. मु.0.0900 हैक्टेयर, बारानी 9.1200 हैक्टेयर) वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भैराराम के स्थान पर भैरूलाल घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:28 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

भैरुलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी आडसर बास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 2. देवीलाल 3. भवानीशंकर 4. श्यामलाल पुत्रगण भंवरलाल जातिगण मीणा निवासीगण आडसरबास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 144/2025
दावा बाबत घोषणात्मक
निर्णय दिनांक 16.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलांस कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बजरंग शर्मा अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 की ओर से ओमप्रकाश मिडल व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 309 तादादी 3.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964 तादादी 9.2100 हैक्टेयर (गै.मु.0.0900 हैक्टेयर, बारानी 9.1200 हैक्टेयर) वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भैराराम के स्थान पर भैरुलाल घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 16 माह 12 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)